न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 58/2012
जीसीएमएस **नम्बर** :– 2012/00120

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन		1. हिरसिंह पुत्र लाबुसिंह 2. जबरसिंह पुत्र भुरसिंह 3. मदनकवंर पत्नी चेनसिंह 4. पुरण कवंर पुत्री चेनसिंह 5. दुर्गेश कवंर पुत्री चेनसिंह 6. पुरण कवंर पत्नी देवीसिंह समस्त जातिगण राजपुत निवासीगण बडी तहसील मा0ज0

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक 20.5.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण वक्त बहस न्यायालय में असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर आराजी भुमि ग्राम बडी के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 1997 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 219 रकबा 40 बीघा किस्म चा 3 मु. मंदिर श्री चारभुजाजी वाके गांव भिमालिया बएतमाम दास बेटो पेहलाद दास रो पुजारी मन्दरवासी गांव भिमालिया रो के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के वर्तमान खसरा नम्बर 406 है तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार खसरा नम्बर 406 रकबा 1.0602 हैक्टेयर हीरसिंह पुत्र लाबुसिंह, जब्बरसिंह पुत्र भूरसिंह, मदनकंवर पत्नी चेनसिंह, पुरणकंवर, दुर्गेशकवंर पुत्रीया चेनसिंह, पुरणकंवर पत्नी देवीसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार दर्ज है। जिसे पुजारीयो द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अप्रार्थीगण को विक्रय/हस्तान्तरण कर दी गयी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) के एवं राजस्थान पीब्लदा ट्रस्ट एक्ट 1952 की धारा 31 के अनुसार प्रतिबधित है। उक्त जैर आराजी के संबध में उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा न्यायिक आदेश क्रमांक/सै.शि.04/187–188 दिनांक 29.01.2004 की पालना में नामान्तरकरण 314 दिनांक 16.02.2004 भरा गया। उक्त आराजी का खातेदार लाबुसिंह एंव उगमकंवर के फौत जाने से नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 29.04.2009 को उनके वारिसानो के नाम भरा जाने के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 386 खातेदार चैनसिंह एवं देवीसिंह के फौत हो जाने के उपरान्त उनके वारिसानो के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया जिसके आधार पर वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है एवं स्वयं भूमि पर काश्त नही करती है। इसकी व्यवस्था पुजारी अथवा व्यवस्थापक, काश्तकार द्वारा की जाती है। मंदिर मूर्ति की भूमि अन्य किसी को हस्तान्तरण नही की जा सकती। पुजारी द्वारा मंदिर की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विपरित बेचान किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 314, 383 एवं 386 निरस्त कर मंदिर मूर्ति की भूमि

अति. जिला कलक्टर, पाली

पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर आराजी भुमि ग्राम बडी के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 1997 के अनुसार खसरा नम्बर 219 रकबा 40 बीघा किस्म चा 3 मु. मंदिर श्री चारभुजाजी वाके गांव भिमालिया बएतमाम दास बेटो पेहलाद दास रो पुजारी मन्दरवासी गांव भिमालिया रो के नाम दर्ज है। नया सेटलमेन्ट सम्वत् 2029–48 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 219 के नये खसरा नम्बर 406 रकबा 7.15 बीघा है। उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश क्रमांक 187–188 दिनांक 29.01.2004 की पालना में नामान्तरकरण 314 दिनांक 16.02.2004 के द्वारा खसरा नम्बर 406 की आराजी लाबूसिंह, जब्बरसिंह, चैनसिंह पि. भूरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज की गई। लाबूसिंह फौत हो जाने पर विरासत व हकतर्क नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 29.04.2009 स्वीकृत किये जाने से जैर आराजी हीरसिंह पुत्र लाबूसिंह, जब्बरसिंह, चेनसिंह पि. भूरसिंह वगैरा शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी रहा तथा विरासत नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 29.0.2009 स्वीकृत किये जाने से जैर आराजी खसरा नम्बर 406 मदनकंवर पत्नी चेनसिंह, पूरणकंवर, दुर्गेशकंवर पुत्री चेनसिंह, पूरणसिंह पत्नी देवीसिंह वगैरा शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी रहा। ग्राम बडी की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खसरा नम्बर 406 रकबा 1.0602 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल हीरसिंह पुत्र लाबुसिंह, जब्बरसिंह पुत्र भूरसिंह, मदनकंवर पत्नी चेनसिंह, पुरणकंवर, दुर्गेशकवंर पुत्रीया चेनसिंह, पुरणकंवर पत्नी देवीसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार दर्ज है। जैर आराजी के उक्त सभी नामान्तरकरण नियम विरूद्ध भरे जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम बडी पटवार हल्का चिरपटिया तहसील मारवाड जंक्शन के गत खसरा नम्बर 219 रकबा 40 बीघा हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 1.9602 किस्म बारानी अव्वल के नामान्तकरण संख्या 314 दिनांक 16.02.2004, 383 एवं 386 दिनांक 29.0.2009 को निरस्त करते हुये पुनः भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी के नाम दर्ज करावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली